हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सोनाराम बनाम जेठाराम मु0नं0 213/19 दिनांक – 6.9.2022	

6/9/22

पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी वकील उपस्थित । विप्रार्थी संख्या – 1 व 2 को रजिस्टर्ड नोटिस बाद तामिल के बावजुद अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार कल्याणपुर से मौका रिपोर्ट तलब की गयी । तहसीलदार कल्याणपुर के पत्र क्रमांक /राजस्व/ 2022/649 दिनांक 10.8.2022 के संलग्न मौका फर्द 9.8.2022 के प्राप्त हुई ।

मौका फर्द अनुसार मौके पर प्रार्थी व विप्रार्थीगण दोनो पक्ष उपस्थित थे। मौके की जांच करने पर पाया गया कि मौके पर रास्ता चालू है लेकिन रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं है । वर्तमान में प्रार्थी पक्ष को आने जाने में कोई समस्या नहीं है । प्रार्थी सोनाराम से उक्त मुकदमा संख्या 213/19 के आदेश की बातचीत की तब प्रार्थी ने बताया की वर्तमान में मुझे आने जाने की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नही है । हम खसरा संख्या 664/87, 663/87 के समस्त खातेदार रास्ता हेतु समर्पण करवाने के लिए सहमत है। माननीय न्यायालय के आदेष अनुसार हम रास्ता नहीं कटवाना चाहते है व हम सहमति से समर्पण करवा देंगे।

हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया । तहसीलदार कल्याणपुर पत्र के संलग्न भू.अभिलेख निरीक्षक मण्डली की मौका फर्द दिनांक 9.8.2022 के अनुसार प्रार्थीगण आपसी सहमती से रास्ता समर्पण करवाना चाहते है। प्रार्थीगण वर्तमान प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहता है। उक्त मौका फर्द रिपोर्ट पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने सहमती प्रकट की है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को आगे चलाना उचित प्रतित नहीं होता है ।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार भू0अभिलेख निरीक्षक मण्डली की मौका फर्द रिपोर्ट जो तहसीलदार कल्याणपुर के मार्फत प्राप्त हुई के अनुसार प्रार्थीगण किसी भी प्रकार कार्यवाही नहीं चाहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया [illegible]

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर [illegible] दाखिल [illegible] ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:02:08 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अ[illegible]री
(SDO) बालोतरा